

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी (म0प्र0)

आदेश

क्रमांक— 2201 / एस.डब्ल्यू / 2020

सिवनी दिनांक 26 मार्च 2020

कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं आवश्यक बचाव के उपाय किये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले में लाकडाउन होने पर लॉक डाउन पास परिचय पत्र साप्ताहिक हंटर के श्री माधव बघेल, श्री सुदर्शन बघेल एवं आपरेटर अफजलखान को क्रमशः लॉक डाउन पास परिचय पत्र क्रमांक 30,31 एवं 32 दिनांक 24/03/2020 द्वारा दिनांक 23-03-2020 से लॉक डाउन अवधि समय प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक के लिये जारी किये गये थे ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी के पत्र क्रमांक 785 दिनांक 26.03.2020 द्वारा दैनिक हंटर समाचार पत्र को जारी लाक डाउन अवधि के लिये जारी लॉक डाउन पास परिचय पत्र निरस्त करने के प्रतिवेदन के आधार पर इस कार्यालय से जारी उपरोक्तानुसार तीनों लॉक डाउन पास परिचय पत्र क्रमांक 30,31 एवं 32 दिनांक 24/03/2020 तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
सिवनी

सिवनी दिनांक 26 मार्च 2020

पृ0 क्रमांक— 2201/A / एस.डब्ल्यू / 2020

प्रतिलिपि :-

- 1— पुलिस अधीक्षक, सिवनी
- 2— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी
- 3— अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी / बरघाट / केवलारी / घंसौर / लखनादौन की ओर सूचनार्थ ।
- 4— अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सिवनी
- 5— थाना प्रभारी सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निरस्त किये गये तीनों लॉक डाउन पास परिचय पत्र क्रमांक 30,31 एवं 32 को संबंधितों से वापस प्राप्त कर कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 6— सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग सिवनी
- 7— सर्व संबंधित श्री माधव बघेल, श्री सुदर्शन बघेल एवं आपरेटर अफजलखान दैनिक हंटर समाचार पत्र सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त जारी लॉक डाउन पास परिचय पत्र का उपयोग न करे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
सिवनी